

अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 3576 / प्र.अ. / विधि (स्टेनो) / लो.स्वा.यां.वि. / 2024

भोपाल, दिनांक 16/04/24

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल / वि. / यां. भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
खंड.....

विषय:—ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी हुआ है तथा जिन्हें आदेश दिनांक से आगे की न्यूनतम वेतन एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है, के द्वारा नियुक्ति दिनांक के 240 दिवस पश्चात से एरियर राशि एवं दिनांक 01.01.2016 से 15.12.2016 तक की सातवें वेतनमान में एरियर राशि चाहने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में "अभ्यावेदन निराकरण आदेश" जारी करने हेतु "आदेश प्रारूप" भिजवाने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी हुआ है तथा जिन्हें आदेश दिनांक से आगे की न्यूनतम वेतन एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है, के द्वारा नियुक्ति दिनांक के 240 दिवस पश्चात से एरियर राशि एवं दिनांक 01.01.2016 से 15.12.2016 तक की सातवें वेतनमान में एरियर राशि प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस प्रकृति के एक न्यायालयीन प्रकरण में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किये गये हैं। ऐसा ही एक "आदेश नमूना" जिसमें विभागीय पक्ष के सभी संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।


कृपया ध्यान दे कि इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार

↓

आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना-11 पेज



16.4.2024
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 3576 / विधि(स्टेनो)/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024
प्रतिलिपी :-

भोपाल, दिनांक 16/04/24

सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना-11 पेज


16.04.2024
प्रमुख अभियंता

आदेश नमूना प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक / प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023

भोपाल, दिनांक

// आदेश //

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 30957/2023 (मुंशीलाल पटेल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड ग्वालियर के अधीनस्थ कार्यरत दैनिक वेतन भोगी हेल्पर श्री मुंशीलाल पटेल के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री मुंशीलाल पटेल दैनिक वेतन भोगी हेल्पर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 30957/2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

(अ) प्रतिवादियों को निर्देश दिये जावे कि वे वादी कर्मचारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश रावत (सुप्रा) प्रकरण में निर्धारित विधि के अनुसार हेल्पर के पद का न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि दिनांक 28.04.89 से दिनांक 14.10.2004 तक की तथा पुनरीक्षित वेतनमान में एरियर राशि दिनांक दिनांक 01.01.2016 से 14.12.2016 तक की ब्याज सहित भुगतान करें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

6. Considering the submissions and the fact situation, this petition is disposed of with direction to the petitioner to prefer a fresh representation along with certified copy of this order raising all grievances before the competent authority/respondents, as the case may be within one month from today and if such representation is preferred then the same shall be considered taking into all relevant facts and documents attached with the representation and decided in accordance with law, within a period of three months from the date of submission of representation.

7. Petition is disposed of accordingly

(3) रिट याचिका क्र. 30957/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के अनुक्रम में वादी कर्मचारी की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 19.01.2024 को सहायक यंत्री मैकेनिकल उपखण्ड गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :-

प्रति,

श्रीमान मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विभाग
मैकेनिकल, सतपुडा भवन, भोपाल

विषय :- प्रार्थी को वर्गीकरण दिनांक 28.04.1989 से 14.12.2005 तक वर्गीकृत पद का ग्रेडिड वेतनमान की दर से माननीय उच्चतम